जनहित में

सेवा में,

मानीय मुख्यमंत्री महोदय,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।

विषयः– भ्रष्टाचार में लिप्त मथुरा जनपद की तहसील छाता में कार्यरत तहसीलदार श्री सचिन पवार के खिलाफ भ्रष्ट आरोपों की जॉच ए0डी0एम0 स्तर के अधिकारी से कराकर एफ0आर0 कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र।

महोदय, प्रार्थी भारतीय जनता पार्टी का एक सामाजिक कार्यकर्ता है।

निवेदन है कि [redacted] मौजा शेरगढ बांगर तहसील छाता जिला मथुरा के खसरा नम्बर 674 में ता0 14.03.2003 को भोलू व शहीद पुत्रगण मंगतू जाति फकीर निवासी शेरगढ के नाम 100–100 वर्गगज के आवासीय पट्टे हुये थे। वर्ष 2003 से वर्ष 2023 यानि 23 वर्षो तक उक्त आवंटियों द्वारा आवंटित भूमि पर न तो कभी कोई कब्जा रहा और न कोई भवन निर्माण ही हुआ। जबकि ग्राम सभा भूमि प्रबन्धक समिति मैनुअल नियमावली के अनुसार अनुसूचित जाति के अलावा अन्य किसी जाति को आवंटित भूमि पर अगर तीन साल तक कब्जा नहीं होता है तो पट्टा स्वतः निरस्त माना जाता है। उक्त दोनों आवास आवंटियों द्वारा दिनांक 14.10.2023 को एक भूमाफिया करतार सिंह पुत्र जल सिंह निवासी पीरपुर तहसील छाता ने अपने नाम दोनों पट्टेदारों से रजिस्टर्ड बैनामा अपने नाम करा लिये गये थे तथा तारीख 13.07.2026 को करतार सिंह ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, छाता श्री सचिन पवार को 83.61 व0मी0 भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु दिया जिस पर तहसीलदार महोदय ने भूमाफिया करतार सिंह से मोटी रकम लेकर प्रार्थना पत्र पर नायब तहसीलदार, चौमुहॉ को निर्देशित कर तारीख 04.08.2026 को नायब तहसीलदार रूबी यादव के साथ स्वयं तहसीलदार, छाता सचिन पवार ने स्वयं मौके पर जाकर शेरगढ–नौहझील मुख्य मार्ग पर उक्त भूमाफिया को गाटा सं0 627 रकवा 0.506 है0 जो कि रिकॉर्ड कागजात वृक्षारोपण (सैद्धांतिक भूमि) है, में रोड के सहारे वेश कीमती करोडों की लगभग 400 वर्गगज से अधिक भूमि की पैमाइश कर अवैध कब्जा करा दिया गया है। उपरोक्त दोनों आवास आवंटियों को खसरा नम्बर 674 में आवंटन हुआ था इसका पत्रावली में इनके नाम कमांक 146 व 149 पर दर्ज हैं तथा आवंटन पत्रावली में संलग्न नक्सा में आवंटन उक्त लोगों का खसरा सं0 494 में दर्शाया गया था। तहसीलदार श्री सचिन पवार द्वारा उक्त भूमाफिया से मोटी रकम लेकर कराये गये अवैध करोडों रूपये की भूमि पर भूमाफिया द्वारा पॉच वाणिज्यिक 5 दुकानें तथा शेष जमीन पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनाकर कब्जा कर लिया है। महोदय तहसीलदार, छाता सचिन पवार ने क्षेत्र में अनेकों भू–माफियाओं से मोटी रकम लेकर ग्राम समाज भूमि पर अवैध कब्जे करा दिये हैं।

अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त पूरे प्रकरण की जॉच सम्बन्धित उप–जिलाधिकारी द्वारा न कराकर क्योंकि सम्बन्धित तहसील उप–जिलाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से किसी अपर जिलाधिकारी महोदय के स्तर के अधिकारी से कराकर दोषी तहसीलदार श्री सचिन पवार के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाय तथा उक्त भूमाफिया द्वारा वृक्षारोपण भूमि पर किये कब्जे को कब्जा मुक्त कराकर कृत कार्यवाही से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांकः–21.08.2026

मनीराम पाठक

प्रार्थी

मनीराम पाठक पुत्र वेदराम पाठक
(समाज सेवी)
निवासी–सुरीरकलॉ पोस्ट सुरीरकलॉ
जनपद मथुरा।
मो0नं0–9084162161

संलग्नंकः–
1–आवास आवंटियों के पट्टों की छांयाप्रति।
2–भूमाफिया द्वारा पैमाइश हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र की छांयाप्रति।
3–आवास आवंटन पत्रावली व नक्सा की छांयाप्रति।
4–ग्राम सभा भूमि सम्पत्ति मैनुअल नियमावली की छांयाप्रति।
5–वृक्षारोपण खतौनी की छांयाप्रति।

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या:- 40014526035258

लाभार्थी का विवरण

नाम	MANIRAM PATHAK	पिता/पति का नाम	VEDRAM PATHAK
मोबइल नंबर(१)	9084162161	मोबइल नंबर(२)	
पता	SURIRKALAN POST SURIRKALAN MATHURA		

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	भ्रष्टाचार में लिप्त मथुरा जनपद की तहसील छाता में कार्यरत तहसीलदार श्री सचिन पवार के खिलाफ भ्रष्ट आरोपों की जॉच ए०डी०एम० स्तर के अधिकारी से कराकर एफ0आर0 कराने के सम्बन्ध में		
संदर्भ दिनांक	21-08-2026	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो)	0,0
विभाग	राजस्व एवं आपदा विभाग	शिकायत श्रेणी	सार्वजनिक भूमि जैसे तालाब, खलिहान, शमशान, खेल का मैदान, आरक्षित भूमि आदि पर कब्ज़ा/ अतिक्रमण

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

शिकायत क्षेत्र का पता	राजस्व ग्राम- सुरीर कलां बांगर, ग्राम पंचायत- सुरीर कलां , विकास खण्ड- नोहझील, तहसील- मांट, जिला- मथुरा

(150)

ज० वि० आकार पत्र ४९ ब

[देखिये नियम 115 ठ (3)]

मैं रामसिंह प्रधान परगना छाता तहसील छाता जिला मथुरा को भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष (परगना छाता जिला मथुरा) का अधिकारी असिस्टेंट कलक्टर प्रमाणित करता हूं कि श्री भोलू आत्मज भगत निवासी ग्राम शेरगढ़ को वर्गबोटर नाप में जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है आबादी स्थल प्रविष्ट किया गया है उक्त ग्रहीता ने समिति को रसीद संख्या ---- दिनांक ---- द्वारा 20/- रुपये नजराने के रूप में दिया है।

ग्राम शेरगढ़ परगना छाता तहसील छाता जिला मथुरा

खाता संख्या 68

क्षेत्रफल 16x4 वर्ग गज

उत्तर] दक्षिण] प्लाट नं 76

पूर्व] पश्चिम]

प्राप्ति 20-3-03

20/3/03

तारीख

अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति ग्राम शेरगढ़

मुहर ग्राम सभा

(रामसिंह) प्रधान ग्राम पंचायत शेरगढ़ (मथुरा)

(131)

उ० वि० आकार पत्र ४६ च

[देखिये नियम 115 ठ (3)]

मैं रामसिंह प्रधान ---------- मन्डल --- छाता ---------- तहसील छाता जिला मथुरा की भूमि प्रबन्धक समिति का अध्यक्ष (परगना छाता ---------- जिला मथुरा) का अधिकारी असिस्टेन्ट कलक्टर प्रमाणित करता हूं कि श्री सईद ---------- आत्मज मंगलू ---------- निवासी ग्राम शेरगढ़ ---------- को वर्गमीटर नाप में जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है आबादी स्थल प्रविष्ट किया गया है उद्देश्य सहीता ने समिति को रसीद संख्या ---------- दिनांक ---------- द्वारा ---------- रुपये नजराने के रूप में दिया है।

ग्राम शेरगढ़ ---------- परगना छाता ---------- तहसील छाता ---------- जिला मथुरा

खाटा संख्या ---------- क्षेत्रफल ----------

स्वीकृति तिथि 10-3-03

उत्तर	
दक्षिण	
पूर्व	
पश्चिम	

तारीख 20/3/03

अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति

ग्राम शेरगढ़ ----------

मुहर ग्राम सभा

(मुहर: ग्राम सभा शेरगढ़ — रामसिंह प्रधान)

सेवामें,

श्रीमान तहसीलदार महोदय छाता मथुरा

विषय – कब्जा दिलाने के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र।

महोदय,

निवेदन यह कि प्रार्थी करतार s/o जलसिंह, नि – पीरपुर तह०. छाता, जिला – मथुरा। मुझ प्रार्थी ने दो किता खाली भूखण्ड जिसका क्षे०फल – 83.61 खसरा सं 674 का भाग मौजा – शेरगढ़ – पेरल चौराहे से जौहसील मार्ग यमुना पुल तक, तह० छाता मथुरा का सहीद s/o मंगतू व भोलू s/o मंगतू नि.गण – शेरगढ़, तह – छाता जिला – मथुरा से बजरिये बैनामा दिनांक 9-10-2023 को क्रय किया था जिसको गाँव के दबंग व भूमाफिया किस्म के व्यक्तियों ने कब्जा रखा है. जिससे मुझ प्रार्थी को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उक्त दबंग व भूमाफियाओं ने खुले मे एलान कर दिया है अगर इस जमीन की तरफ आँख उठाकर देखा तो तुझे व तेरे परिवार को जान से खत्म कर दोगें।

अत: श्रीमानजी से प्रार्थना है कि राजस्व टीम की सहायता से कब्जा मुक्त कराने व मुझे दखल दिलाने, मेरे व मेरे परिवार की जान माल की सुरक्षा करने की कृपा करें।

प्रार्थी

करतार (sign) करतार s/o जलसिंह
नि – पीरपुर, तह० छाता
जिला – मथुरा
मो० – 9997546928

दिनांक
13/07/2024

NT/[illegible]/SH शेरगढ़
स्वयं टीम बनाकर
[illegible] 6-2024 [illegible]
[illegible]
13/7/24

3/

आर० ...

फेहरिस्त मुकदमात ... नमूना (...)

1—मौजा का नाम आवास

2—... आलमपुर

3—... पचवली

4—... 10/3/03

5—... श्रीराम बनाम चौगर

6—... खाता

7—मुद्दई

8—मुद्दआलेह 121 पट्टेदार

9—... उपजिलाधिकारी

10—... खाता

तारीख ... दाखिल ...

... मुकदमात ...

... जिसमें सत्री (से) तक ... की तारीखें

... जिसमें सत्री (से) तक की गई

... जिसमें (अलिफ) तक की तारीखें

सिलसिलेवार नम्बर कागज	किस्म कागज	तादाद औराक: बाकी (अलिफ)	तादाद औराक: सत्री (से)	स्टाम्प ...: आयद ...		तारीख ... दाखिल ... की	कैफियत
1-	सूची खाता	01				—	
2-	आख्या RR, तहसीलदार M.T. व ...	02				28/1/03	
3-	आख्या लेखपाल	01	—	—	—		
4-	नकल ...	06	—	—	—	25/1/03	
5-	सूची 57 घ	09	—	—	—	15/1/03	
6-	...	03	—	—	—		
7-	नक्शा नजरी	01	—	—	—	"	
8-	...	03	—	—	—	7	
9-	रिपोर्ट RK NT ...	01	—	—	—	—	
10-	...	01	—	—	—		
11	ग्राम का ...	01	—	—	—	01/3/03	

मिसल (29)

... — ... (...)

तहसीलदार / उपजिलाधिकारी छाता

महोदय,

संलग्न पत्रावली आवास आवंटन मौजा शेरगढ़ बांगर तहसील छाता जिला मथुरा की संलग्न प्रपत्र एवं स्थानीय जाँच की गयी / पत्रावली में निर्धारित एजेण्डा एवं मुनादी निर्गत दिनांक 10-01-03 को किये गये हैं / तथा दिनांक 15-1-03 को भू०प्र० समिति की कार्यवाही (बैठक) ग्राम पंचायत भवन पर की गयी / सदस्यों की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुये, कार्यवाही की गयी / तथा लेखपाल द्वारा ग्राम मीटिंग में पात्र व्यक्तियों की सूची कार्य कमेटी की आम राय के आधार पर तैयार करते हुये, सूची 49-ब का सत्यापन सर्व सम्मति से किया गया / जिसमें 177 व्यक्तियों को आवास आवंटन हेतु पात्र माना गया है/

मेरे द्वारा आवंटन पत्रावली की स्थानीय जाँच ग्राम चौपाल पर खुली बैठक में की गयी / जिनकी आपत्ति सूची 49-ब के विवरण में दर्शाया गया है / कि आवास आवंटन नियम के अन्तर्गत अपात्र हैं / इस प्रकार शेष पात्र व्यक्ति [121] रहे / जिनकी क्रम संख्या निम्न प्रकार दर्शायी गयी है, एवं सूची क्रमांक के सामने ✓ (सही) का निशान लगाया है / तथा अपात्रों पर × (क्रास) का निशान है/

पात्र व्यक्तियों का क्रमांक :— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 172, 177, // कुल 121 व्यक्ति आवास आवंटन हेतु पात्र है

(P.T.O)

NT(ह०।नी)

(3)

135	[illegible] S/o [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	674	100 [illegible]	50L	78
					451	50 [illegible]	50L	39
136	प्रेम [illegible] भगवानदास	ब्राह्मण	"	"	1426			
137	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100 [illegible]	50L	111 ✓
138	[illegible] S/o [illegible]	कुम्हार	"	"	494	100 [illegible]	50L	139
+ 139	[illegible] S/o [illegible]	"	"	"	✓ 674	100a✓	"	112 ✓
140	सजीवकुमार S/o [illegible]	बैरागी	"	"	494	100a✓	50L	140
141	[illegible] S/o [illegible]	गाडोलिया	"	"	513	100a✓	50L	113 ✓
142	[illegible] S/o [illegible]	गाडोलिया			006	100a✓	50L	76 ✓
143	चन्दन S/o [illegible]	[illegible]	"	"	513	100a✓	50L	114 ✓
144	महेश S/o [illegible]	गाडोलिया	"	"	006	100a✓	50L	13 ✓
145	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100a✓	50L	[illegible] ✓
146	भोलू S/o [illegible]	फकीर	"	"	674 ✓	100a✓	50L	70 ✓
147	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100a✓	50L	[illegible] ✓
+ 148	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100a✓	50L	74 ✓
149	[illegible] S/o [illegible]	फकीर	"	"	674 ✓		50L	[illegible] ✓
150	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100a✓	50L	72
151	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100a✓	50L	[illegible] ✓
+ 152	[illegible] S/o [illegible]	मुस्लिम	"	"	674	100a✓	50L	[illegible]
+ 153	[illegible] S/o [illegible]	कुम्हार	"	"	674	100a✓	"	07
154	महेश S/o हरीसिंह	[illegible]	"	"	494	100a✓	"	141
+ 155	[illegible] कुमार S/o [illegible]	ब्राह्मण	"	"	494	100a✓	"	142
+ 156	[illegible] S/o [illegible]	ब्राह्मण	"	"	494	100a✓	"	143
+ 157	[illegible] कुमार S/o [illegible]	ब्राह्मण	"	"	494	100a✓		[illegible]

[illegible signatures] पटवारी [illegible] N-T[illegible]

(31)

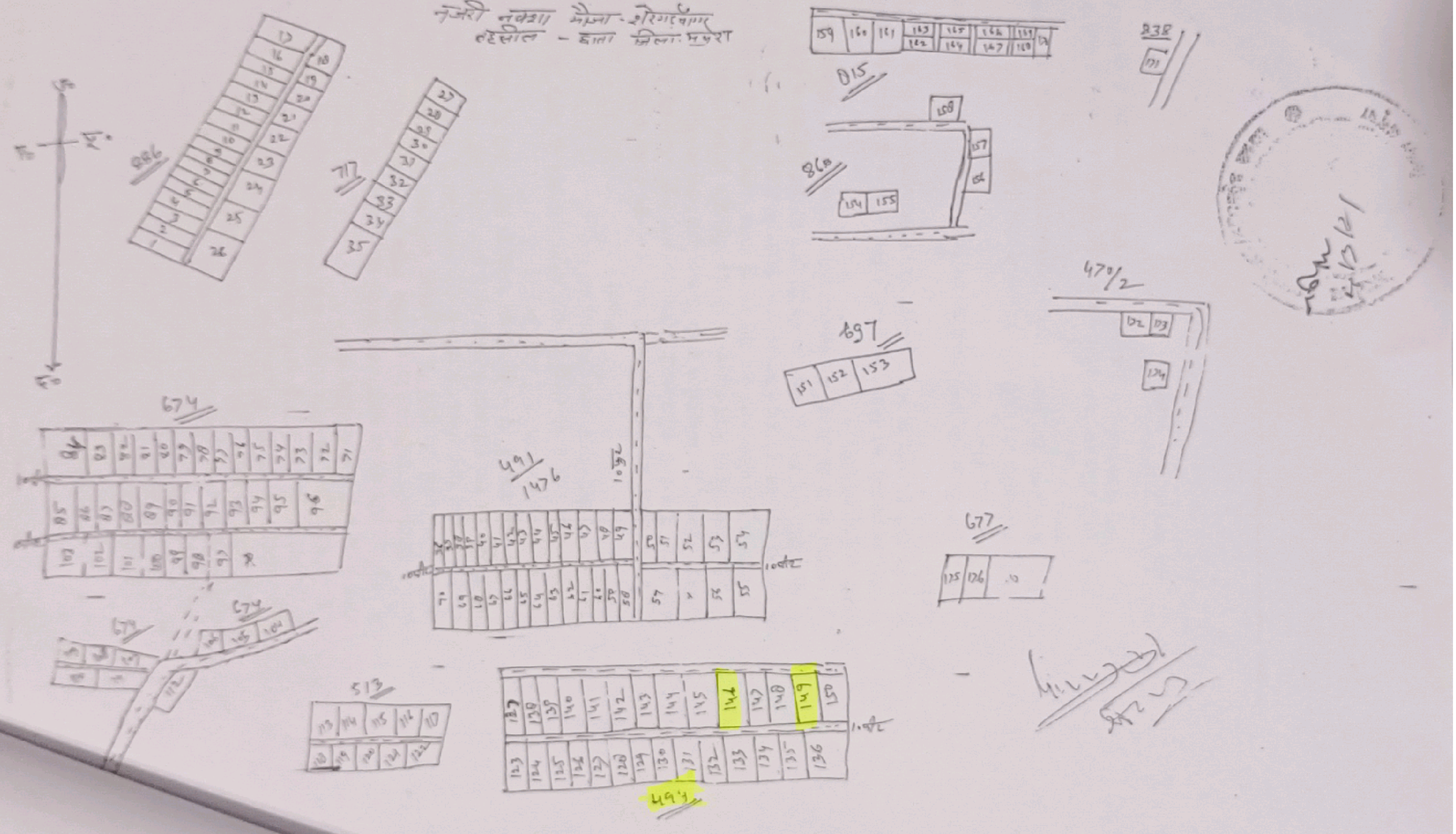

53. धारा 122-ग(8) उ०प्र० अधिनियम सं० 24 सन् 1986 द्वारा हटा दी गयी किन्तु पुरानी धारा इस प्रकार है—अधिनियम की धारा 122-ग(8)—परगने का प्रभारी सहायक कलेक्टर स्वप्रेरणा से अथवा इस हेतु उसके समक्ष किये गये किसी आवेदन पर भूमि के किसी आबंटन के अथवा परिच्छेद 47, 48 अथवा 49 के अधीन किये गये अन्य आदेश को निष्पादित करने का आदेश दे सकेगा, उसके धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बेदखली अथवा उसका कब्जा पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आबंटिती अथवा ग्राम सभा की किसी ऐसी भूमि का कब्जा पुनः प्राप्त करने के पश्चात् आबंटिती अथवा ग्राम सभा किसी ऐसी भूमि के कब्जे का परिदान करने का निदेश दे सकेगा और इस प्रयोजनार्थ ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा अथवा करवा सकेगा, जो आवश्यक हो।

54. गृह तीन वर्ष के भीतर बनाये जायेंगे (Houses to be built within three years)—नियमावली का नियम 115-थ—जिस व्यक्ति को आबादी स्थल आबंटित किया जाय उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह आबंटन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर मकान बना ले तथा उसमें रहना अथवा उसे काम में लाना प्रारम्भ कर दे, जिसके लिए वह बनाया गया हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है अथवा किसी समय उसका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करता है, तो उसके अधिकार समाप्त हो जायेंगे तथा भूमि प्रबन्धक समिति उस स्थल को अपने अधिकार में ले सकती है।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति अथवा जन-जाति के व्यक्ति की स्थिति में मकान बनाने के लिए उपर्युक्त समय सीमा लागू नहीं होगी।

टिप्पणी

उपर्युक्त उपबन्ध मात्र विधिक स्थिति को स्पष्ट करता है। किसी कार्यवाही को प्रारम्भ करने के बारे में कुछ भी नहीं कहता है। नियम 115-द के अनुपालन अथवा अन्यथा के बारे में विहित अधिकारों का अभिनिर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जायेगा।[1]

55. नियमावली का नियम 115-द—(1) यदि कोई भूमि या स्थल नियम 115-ठ से 115-थ के अनुसार प्रदिष्ट किया जाय और उस पर मकान बनाया जाय तो, उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रदेशनग्रहीता को प्रदेशन के दिनांक से दस वर्ष की अवधि के भीतर, ऐसी भूमि, स्थल या मकान का संक्रमण करने का कोई अधिकार न होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि दस वर्ष की अवधि के सम्बन्ध में निर्बन्धन मृत प्रदेशनग्रहीता के दायादों पर लागू नहीं होंगे।

56. नियमावली का नियम 11-ड—(2) नियम 115-ठ से 115-थ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये भूमि या स्थल के समस्त प्रदेशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे, अर्थात्—

(क) प्रदेशनग्रहीता और उसके दायादों का इस प्रकार प्रदिष्ट भूमि या स्थल पर दाय योग्य हित होगा;

(ख) प्रदेशनग्रहीता और उसके दायाद बेदखली के योग्य न होंगे;

(ग) उत्तराधिकार ऐसी स्वीय विधि द्वारा जिसके अधीन प्रदेशनग्रहीता था, नियंत्रित होगा;

(घ) प्रदेशनग्रहीता इस प्रकार प्रदिष्ट भूमि या स्थल पर मकान का निर्माण करने के लिये नियम 115-ठ से 115-थ के अधीन प्रदिष्ट भूमि या स्थल में अपने स्वत्व

1. आर० बनाम डी०, 1984 आर०डी० 88।

Scanned with OKEN Scanner

उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

20/August/2026 02:57:49 AM

जनपद : मथुरा | तहसील : छाता | ग्राम : शेरगढ़ बांगर

ग्राम कोड : 123678 | फसली वर्ष : 1426-1431 (01 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2024) | खाता संख्या : 00847

श्रेणी : 6-4/जो अन्य कारणों से अकृषित हो ।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण				खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष		(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में(हे०)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
627	1) वृक्षारोपण / --- / नि. ग्राम			627 (1236780627000064)	0.5060	1) 1/1	1) 0.5060	0.00
							0.5060	

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त / विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

कुल गाटे : एक	कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव पांच शून्य छह शून्य (हेक्टेयर)	कुल भू-राजस्व : शून्य दशमलव शून्य शून्य रुपये	कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव पांच शून्य छह शून्य (हेक्टेयर)